चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/511
दिनांक : 11.12.2018

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की मुख्य परीक्षा–2019 की परीक्षायें फरवरी–मार्च, 2019 से प्रारम्भ होनी प्रस्तावित है।

उपरोक्त परीक्षाओं के स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थागत पाठ्यक्रमों के केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व छात्र Ex. Student/एकल विषय Single Subect/श्रेणी उन्नयन Division Improvement) तथा वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuweb.in** पर दिनांक 15.12.2018 से निम्नांकित तिथियों के अनुसार ऑन लाईन भरवाये जाने है :– **व्यक्तिगत स्तर पर संचालित बी0ए0, बी0काम0, एम0ए0 एवं एम0काम0 की मुख्य परीक्षा–2019 के परीक्षा फार्म भरवाये जाने की तिथि अलग से शीघ्र घोषित की जायेगी।**

<u>ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :–</u>

01.	छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	15.12.2018
02.	छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने एवं ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	28.12.2018
03.	परिपूर्ण परीक्षा फार्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा करने की अन्तिम तिथि	31.12.2018
04.	महाविद्यालयों/संस्थानो द्वारा परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	02.01.2019

नोट :–
1. समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोडकर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोडकर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारुप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
3. संस्थागत स्तर पर एकल विषय परीक्षा हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने अपनी स्नातक स्तर की परीक्षा संस्थागत छात्र के रूप में विषय वर्ग (कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय) के अनुसार ही केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध सन्दर्भित महाविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण की है।
4. ऐसे स्नातक अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी स्नातक उपाधि व्यक्तिगत रूप में उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थी संस्थागत एकल विषय के परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
5. कोई भी अभ्यर्थी नेट/स्लैट/एम0फिल0/पी–एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त ही केवल दो वर्ष के अन्दर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।
6. विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।

कुलसचिव
11.12.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली–भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

क्रमशः......2

04. व्यैक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
05. व्यैक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
06. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
07. उप कुलसचिव (गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल/अति गोपनीय विभाग)।
08. समस्त अनुभाग प्रभारी, परीक्षा विभाग/पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।
09. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
11.12.18